2 अनुवर्ती कार्यक्रम
Follow-up-Programme

उद्देश्य आजीविका कमाने हेतु औजार उपलब्ध करवाना।

पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछडे वर्गो से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिन्होने सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा स्वंयसेवी संस्थाओ द्वारा संचालित केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय मे निपुण हो लेकिन किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तथा वार्षिक आय 35,000/–रु0 से अधिक न हो।

सहायता बढई कार्य, कताई व बुनाई, सिलाई कार्य तथा चमडा कार्य के लिए 1500/–रु0 तक की राशि के औजार अथवा सिलाई मशीनें खरीदने हेतु अनुदान दिया जाता है।

प्रकिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है जिसके साथ हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो तथा सम्बन्धित संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।